

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प... जलोदा.....

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जलोदा, जलोदा व भूअ.नि. डुकिरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार दोलादा / नायब तहसीलदार — की अनुशासक के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अन्वय में ग्राम जलोदा, जलोदा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2076-77 में खाता संख्या — में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

| क्र. सं. | ग्राम / पओहो | खाता संख्या / खसरा नम्बर | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।) |
|----------|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | जलोदा | खसरा नम्बर- 421, 422/1, 423, 429, 428/1238, 433 | पृथ्वीराम पुत्र मदनलाल | नरेंद्र कुमार उर्फ पृथ्वीराम पुत्र मदनलाल द्वारा करने के आदेशों को पालने की किसी भी आशावादी या अशुद्ध आदेश नूतन को दूर करे। |
| 2 | सामेर | ख. न. 493/1056, 370/1034 | | |

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

राजेश कुमार मीणा
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

दिनांक:- 25.11.21

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 618

प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री..... को सूचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

पीठासीन अधिकारी प्रशासन संग गांवों के अभियान-2021

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर।

राजेश कुमार मीणा
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर